(118)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–393–तीन/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 01–02–2008 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक–414/निग0/2007–08

.....

1– अरूण सिंह पिता अवधेश प्रताप सिंह
2– मुस0 गेदा सिंह पत्नी तरूण सिंह
3– प्रेमेन्द्र कुमार सिंह पिता तरूण सिंह
4– देवेन्द्र कुमार सिंह पिता तरूण सिंह
5– गीतेन्द्र कुमार सिंह
6– शैलेन्द्र सिंह, दोनों अवयस्क सरपरस्त मॉ मु0 गैंदासिंह
7– राजेन्द्र सिंह तनय दलप्रताप सिंह
8– भूपेन्द्र सिंह तनय दलप्रताप सिंह
9– सुरेन्द्र सिंह तनय बृजबिहारी सिंह
10– नारेन्द्र सिंह तनय बृजबिहारी सिंह
11– जागेन्द्र सिंह तनय बृजबिहारी सिंह
निवासीगण–चम्पागढ़ तहसील त्योथर,
जिला–रीवा(म0प्र0)

–––––आवेदकगण

विरूद्ध

1– भानुप्रताप सिंह तनय राजबहादुर सिंह
2– मु0 सीतादेवी पत्नी मंगलेश्वर सिंह
3– हीरा सिंह तनय मंगलेश्वर सिंह
4– जवाहरसिंह तनय मंगलेश्वर सिंह
5– रामबहादुर सिंह तनय हरप्रसाद सिंह
6– समरजीत सिंह तनय हरप्रसाद सिंह
7– महेन्द्र प्रताप सिंह तनय ददन सिंह
निवासीगण–ग्राम चम्पागढ़ तहसील त्योंथर
जिला–रीवा(म0प्र0)

–––––––अनावेदकगण

.....

श्री आर0एस0 सेंगर, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आई0पी0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 09/6/2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–02–2008 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम चम्पागढ़ स्थित खसरा क्रमांक 828, 829, 830, 831, 982, 983, 984, एवं 989 कुल किता 8 रकबा 26.50 एकड़ भूमि आवेदक एवं अनावेदक के परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज थी। पूर्व में पक्षकारों के मध्य रा0प्र0क्र0 149/55–56 में पारित आदेश दिनांक 29.04.56 के अनुसार उसे 1/2 अंश पारित हुआ है। जबकि वर्तमान रिकॉर्ड में 1/3 अंश दिखाया गया है। जिसे संशोधन करने हेतु अनावेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया गया, जो प्रकरण क्रमांक 9/6ए/2004–05 में दर्ज किया जाकर दिनांक 11.02.2005 को नायब तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 116 सहपठित धारा 32 के तहत आवेदकगण एवं अनावेदकगण बीच भूमि का अंश दोनों पक्ष में बराबर–बराबर किये जाने का आदेश पारित किया । नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, त्योंथर के समक्ष अपील मय अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पेश किया, जो प्रकरण क्रमांक 363/अपील/2004–05 पर पंजीबद्ध होकर पारित आदेश दिनांक 20.11.2006 से अपील मय अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 20.11.2006 से परिवेदित होकर अनावेदकगण द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर, रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण क्रमांक 181/अ–6–अ/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 14.11.2007 से निगरानी निरस्त की गई। अपर कलेक्टर के आदेश के खिलाफ निगरानी अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में पेश किये जाने पर अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक–414/निग0/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 01–02–2008 से निगरानी स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि विचारण न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। लेकिन उनकी आपत्ति पर कोई विचार न करते हुये आपत्ति का निराकरण नहीं किया गया । आदेश पत्रिका दिनांक 10.11.2004 में 19.11.2004 को पेशी नियत की गई थी लेकिन नियत तिथि को प्रकरण सुनवाई में नहीं लिया गया तथा दिनांक 22.11.2004 को प्रकरण सुनवाई में लिया गया । इसी प्रकार दिनांक 22.11.2004 को दिनांक 27.11.2004 की तिथि नियत की गई लेकिन नियत तिथि को प्रकरण न लिया जाकर दिनांक 16.12.2004 को प्रकरण लिया जाकर पेश दी गई । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस प्रकार नियत तिथि को विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही न की जाकर आवेदकगण को बिना सूचना दिये पृथक तिथियों में आदेश पारित किया गया, जिससे आवेदकगण को विचारण न्यायालय के आदेश की जानकारी विलम्ब से हुई। नकल खतौनी बन्दोबस्त में सवंत 1981 लगायत 2000 एवं आज दिनांक तक आवेदकगण क्रमांक 1 लगायत 8 तक का हिस्सा 1/3 एवं आवेदकगण 9 लगायत 11 हिस्सा 1/3 तथा अनावेदकगण हिस्सा 1/3 भूमि स्वामी राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय का आदेश पारित किया है। ऐसा आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अंत में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से विदित होता है कि तहसील न्यायालय ने अपने प्रकरण क्रमांक 9/अ–6–अ/2004–05 का निराकरण दिनांक 11.02.2005 को किया है। उक्त दिनांक को ही तहसील न्यायालय द्वारा दो अन्य प्रकरण भी निर्णीत किये गये है जिसमें आवेदकगण, (अनावेदकगण के रूप में) पक्षकार थे। तहसील न्यायालय के प्रश्नागत आदेश दिनांक 11.02.2005 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपील लगभग 5 माह की विलंब अवधि से दायर की गई थी। आवेदकगण द्वारा विलंब क्षमा के

आवेदन पत्र में यह तथ्य दर्शित किया गया था कि दिनांक 14.07.2005 को आदेश की पहली बार जानकारी हुई थी, इसके पश्चात ही दिनांक 15.07.2005 को नकल का आवेदन पेश किया गया था । चूँकि दिनांक 16.07.2005 व 17.07.2005 को न्यायालयीन अवकाश होने के कारण ही अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में दिनांक 18.07.2005 को अपील दायर की गई थी, जिसके विरूद्ध अनावेदकगण ने अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया था। किन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने विलंब का कारण समुचित मानते हुये विलंब के आवेदन पत्र को स्वीकार किया है और अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश को अपर कलेक्टर के यहॉ चुनौती देते हुये निगरानी पेश की गई। जहॉ अपर कलेक्टर ने तारीख पेशियों का हवाला देते हुये, अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को विधिसंगत माना तथा पेश की गई निगरानी को निरस्त कर दिया । अपर कलेक्टर ने विलंब माफी में वर्णित तिथियों पर विचार किये बिना ही अन्य तारीख पेशियों का हवाला देकर निगरानी निरस्त कर दी, जो सर्वथा अनुचित व अवैध है। आवेदकगण ने सिर्फ आदेश की जानकारी न हो पाने के तथ्य को विलंब का आधार बताया है। जबकि भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के आवेदन में प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिये, जो कि आवेदकगण द्वारा नहीं दिया गया है। दिन प्रति दिन के विलम्ब का समाधनकारक कारण दर्शाये जाने पर ही अपील को समय–सीमा में माना जा सकता है। अपर कलेक्टर ने भी त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकालते हुये, अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखने में अवैधानिकता की है। अपर आयुक्त ने अपने प्रकरण क्रमांक–414/निग0/2007–08 में पूर्ण विवेचना कर दिनांक 01–02–2008 को विस्तृत आदेश पारित कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश 01–02–2008 विधिनुकूल एवं न्यायसंगत होने से यथावत रखा जाता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,